

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

बीदासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 495/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

मनजीत कौर पत्नी श्री गुरदीपसिंह पुत्री श्री हरिसिंह जाति रामदासीया नि.संगरिया हाल निवासी बठिंडा (पंजाब) वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र पूर्णदास जाति बैरागी निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. जयदयाल पुत्र हुकमादास जाति बैरागी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. ज्वारा पुत्र रूडा (फौत)
- 3/1 गिरधारीलाल पुत्र श्री सिल्लूसिंह पुत्र ज्वारासिंह जाति बैरागी नि.नगराना तह.संगरिया
4. प्रेम कुमार पुत्र हुकमादास जाति बैरागी निवासी संगरिया तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. बलराम पुत्र हुकमादास जाति बैरागी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. बिल्ला पुत्र रूडा (फौत)
- 6/1 ककूसिंह पुत्र बिल्ला सिंह जाति बैरागी नि.संगरिया तह.संगरिया।
7. मदन लाल पुत्र पूर्णदास जाति बैरागी नि.संगरिया तह.संगरिया।
8. माडा पुत्र रूडा (फौत)
- 8/1 रूपसिंह पुत्र तीतर सिंह पुत्र माडासिंह जाति बैरागी निवासी संगरिया।
9. मोहनलाल पुत्र सेवादास जाति बैरागी निवासी संगरिया तहसील संगरिया।
10. लिछमण पुत्र बिशना जाति बैरागी निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. सोहनलाल पुत्र रिडमलराम जाति बैरागी निवासी संगरिया तहसील संगरिया।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



प्रतिवादीगण

दिनांक :- 6.2.2024

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 5 एनजीआर

1. मनजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति रामदासीया निवासी बठिंडा

प.न.	मु.न.	किला नं.
174/217	40	23,24/0.506
174/218	47	3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.खाला, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु.खाला 5/1/0.202, 5/2/0.051 गै.मु.खाला, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु.खाला, 7,8,9,12,13,14/1.518, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु.खाला

2. ज्वारासिंह पुत्र रूडा जाति मजहबी निवासी नगराना (फौत कब्जा वारिसान)

प.न.	मु.न.	किला नं.
174/217	40	16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु.खाला 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु.खाला
175/218	48	1,10/0.506, 4/0.084

3. बिल्ला पुत्र रूडा जाति मजहबी निवासी नगराना (फौत कब्जा वारिसान)

प.न.	मु.न.	किला नं.
175/217	39	20,21/0.506
175/218	48	2,3/0.506, 4/0.085

4. माडा पुत्र रूडा जाति मजहबी निवासी नगराना (फौत कब्जा वारिसान)

प.न.	मु.न.	किला नं.
175/217	39	18,19,22,23/1.012
175/218	48	4/0.084

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है पर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/4537 दिनांक 21.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काश्त होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.2.2024 को खुले न्यायालय में जारी



  
(जय कौशिक)  
मुख्य कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
समुदाय